



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 633 राँची, सोमवार,

7 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2024

संख्या- 8/न्या० विविध (एल०एल०एम०/पी०एच०डी०)-04/2024 का० 5433--झारखण्ड उच्च

न्यायालय द्वारा अनुशंसित निम्नांकित न्यायिक पदाधिकारियों को विभागीय संकल्प संख्या-1459

दिनांक 27.02.2024 की कंडिका-IX के तहत विहित शर्तों के अधीन निम्नांकित स्तम्भ में अंकित

तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता के स्वीकृत प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	उच्च योग्यता		झा. न्या. से. में योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	वि० संकल्प सं०- 4328 दिनांक 24.05.2016 के आलोक में एल०एल०एम० उपाधि पर पूर्व में दी गयी स्वीकृति की तिथि
		उपाधि	निर्गत / कन्वोकेशन तिथि			
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुश्री पूजा पाण्डेय, अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन)- सह-न्यायिक दंडा०, चाईबासा	एल०एल०एम०	15.10.2019	07.10.2020	07.10.2020	
2.	श्री रंजय कुमार, सिविल जज (सी०डि०)-सह-न्यायिक दंडा०, राजमहल	एल०एल०एम०	30.05.2015	05.08.2015	05.08.2015	
3.	श्रीमती अर्पणा कुमारी, सिविल जज (सी०डि०)-सह-न्यायिक दंडा०, जमशेदपुर	एल०एल०एम०	22.12.2017	20.07.2015	22.12.2017	
4.	श्री जितेन्द्र राम, सिविल जज (जू० डि०)-सह-न्यायिक दंडा०, जमशेदपुर	एल०एल०एम०	22.08.2022	03.02.2018	22.08.2022	

- उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और मंहगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी।
- उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस संबंध में पूर्व में एल०एल०एम० उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जाय।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल०एल०एम०/पी०एच०डी० उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरांत ही उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
